(3)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

1/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/1943

1. चेपा, गोरे लाल, आशाराम तनय स्व. हल्के काछी
2. नथुवा तनय छत्ती काछी समस्त निवासी बुड़ेरा
तह. व जिला टीकमगढ़ म.प्र.
..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

भूपत तनय सुनका काछी निवासी बुड़ेरा तह. जिला
टीकमगढ़ म.प्र.
..प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षणप्रस्तुत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर की अपील क्र. 1198/अ6/16-17 मे पारित आदेश दिनांक 12/3/2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

महोदय,

पुनरीक्षण कर्ता की विनय सादर प्रेषित :

1. यहकि पुनरीक्षण कर्ता एवं प्रतिपुनरीक्षण कर्ता सगे चचेरे भाई है प्रतिपुनरीक्षण कर्ता क्र.1 के पिता हल्के तनय सुनका काछी एव प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्र.2 छत्ता तनय समरमला के द्वारा सामलाती परिवार होनेसे ग्राम बुड़ेरा की भूमि ख.न. 2731, 2858 लगलगायत 2871 कुल किता 15 रकवा 4.822हे. का हिस्सा 1/2 रकवा 2.411हे. भूमि दिनांक 10/6/1963 को क्रय की गई थी परिवार मे चलेआ रहे सौहार्द से एक भाई के नाम सुनका काछी तनय समला काछी के नाम विक्रय पत्र हो गया था जो संयुक्त परिवार की अविभाजित संपत्ति थी। इस कारण सुनका काछी ने अपने जीवन काल मे परिवार के विवस्था अपने भाईछत्ता एव हल्के को [illegible] ईमानदारी सामिल कर लिया था दिनांक 13/4/85 को जब पटवारी ने नामांतरण पंजी पर उक्त उक्त विवस्थापन लेख लिखा तो पंचो के समक्ष उक्त विवस्थापन तत्कालीन राजस्व निरीक्षक के द्वारा दिनांक 26/5/85 को प्रमाणित कर दिया था और परिवार व्यवस्था कर्ता सुनका काछी ने अपने जीवनकाल मे इससंबंध मे कोई आपत्ति नही कीथी परंतु समय के बदलते 32 वर्ष के पश्चात जबसुनका का देहावसान हो गया था तब भूपत ने आदेश दि० 13/4/85 के विरुद्ध मा० S.D.O. न्यायालय टीकमगढ़ में अपील कर दी

नि. नथुवा नि. चेपा नि. गोरेलाल नि. आशाराम

पेपा / रूपन

XXXIX(a)-BR(H)-11

(12)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-1943-I/18 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-7-18	अभिभाषकगण आज कार्य से विरत है। प्रकरण पूर्ववत कार्यवाही हेतु प्रकरण आगामी पर रखें। पे- 8-8-18 आदेशानुसार	
8/8/18	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम0पी0 भटनागर उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग के प्र क्र. 1198/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.3.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य आदेश की सत्यापित प्रति एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी उचित पाया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होता है। फलस्वरूप यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) सदस्य	8/8/18

क्र. पृ. उ.